न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 48/2024

अनवान : –

1. बिनोद पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. मनोहरी पत्नी सुल्तानसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

3. कृष्ण कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. पतोहरी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सरोज देवी पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 08/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 95/43 की कुल किता 5 का कुल क्षेत्रफल 0.5260 है0 कृषि भूमि में सायल व तरतीवी गैरसायलान 3 ता 5 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 94/43 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.0250 है0 भूमि गैरसायला संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 3 ता 5 की कृषि भूमि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 95/43 की कुल किता 5 का कुल क्षेत्रफल 0.5260 है0 कृषि भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता स्वीकृतशुदा नहीं है इसलिए सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 3 ता 5 को भारी परेशानी हो रही है। सायल, तरतीवी गैरसायलान व गैरसायला संख्या 1 की कृषि भूमि आपस में चिपती कृषि भूमि है इसलिए सायल अपने गांव फेफाना से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायला संख्या 1 की भूमि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 94/43 के प0 नं0 364/374 (14) के किला न. 3/4 की 0.0130 है0 व 4/5 की 0.0120 है0 भूमि में से होते हुए अपने खेत रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 95/43 के प0 नं. 364/374 (14) के किला नं. 5/7 में प्रवेश कर जाते है और यह रास्ता लगातार चालु है तथा उक्त रास्ता को सायल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.12 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल व तरतीवी गैरसायल संख्या 3 ता 5 को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। यह सबसे नजदीकी व सुविधाजक रास्ता है। गैरसायला संख्या 1 ने उक्त रास्ता की भूमि के बदले सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 3 ता 5 से अपनी हकरसी प्राप्त की हुई है आपसी सहमति से गैरसायला संख्या 1 की भूमि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 94/43 के प0 नं0 364/374 (14) के किला न. 3/4 की 0.0130 है0 व 4/5 की 0.0120 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाना चाहते है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 3 ता 5 की कृषि भूमि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 95/43 की कुल किता 5 का कुल क्षेत्रफल 0.5260 है0 कृषि भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता स्वीकृतशुदा नहीं है इसलिए सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 3 ता 5 को भारी परेशानी हो रही है। सायल, तरतीवी गैरसायलान व गैरसायला संख्या 1 की कृषि भूमि आपस में चिपती कृषि भूमि है इसलिए सायल अपने गांव फेफाना से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायला संख्या 1 की भूमि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 94/43 के प0 नं0 364/374 (14) के किला न. 3/4 की 0.0130 है0 व 4/5 की 0.0120 है0 भूमि में से होते हुए अपने खेत रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 95/43 के प0 नं. 364/374 (14) के किला नं. 5/7 में प्रवेश कर जाते है और यह रास्ता सदामत से चालु है तथा उक्त रास्ता को सायल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। सायल व तरतीवी गैरसायल संख्या 3 ता 5 को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। यह सबसे नजदीकी व सुविधाजक रास्ता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.12 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार [illegible] मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 95/[illegible] की कुल किता 5 का कुल क्षेत्रफल 0.5260 है0 कृषि भूमि में सायल व तरतीवी गैरसायलान 3 ता 5 की मुश्तरका खाता की दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073—2076 के खाता संख्या 94/43 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.0250 है0 भूमि गैरसायला संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073—2076 के खाता संख्या 94/43 के प0 नं0 364/374 (14) के किला न. 3/4 की 0.0130 है0 व 4/5 की 0.0120 है0 भूमि रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायला संख्या 1 की भूमि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073—2076 के खाता संख्या 94/43 के प0 नं0 364/374 (14) के किला न. 3/4 की 0.0130 है0 व 4/5 की 0.0120 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.12 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर/रास्ता/2024/1126 दिनांकः– 11/11/24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–48/2024 निर्णय दिनांक 08/11/2024।

प्रकरण संख्या – 48/2024
अनवान : –

1. बिनोद पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. मनोहरी पत्नी सुल्तानसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

3. कृष्ण कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. पतोहरी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सरोज देवी पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 25/2023 अनवान कमल कुमार आदि बनाम पवन कुमार आदि में निर्णय दिनांक 08/11/2024 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर गैरसायला संख्या 1 की भूमि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 94/43 के प0 नं0 364/374 (14) के किला न. 3/4 की 0.0130 है0 व 4/5 की 0.0120 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.12 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested